न्यायालय--जिलाधिकारी, सहरसा।

आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या – **80/2016**

लक्ष्मी कुमारी बनाम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी एवं अन्य

-- :: आदेश :: --

23.1.18

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या–80/2016 महिषी परियोजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत–पस्तवार के पासवान टोला, वार्ड संख्या–02, आँगनबाड़ी केन्द्र कोड संख्या–197 में आँगनबाड़ी सेविका चयन में बरती गई अनियमितता के विरुद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या–17/2013–14 में दिनांक 30.06.2014 को पारित आदेश ज्ञापांक–897–1, दिनांक 30.06.2014 के विरुद्ध उप निदेशक, कल्याण विभाग, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में अपील वाद संख्या–218/2014 दाखिल किया गया, जो समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–3226, दिनांक–11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका–10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में वाद हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा वाद संख्या–17/2013–14 में दिनांक 30.06.2014 को पारित आदेश ज्ञापांक–897–1, दिनांक 30.06.2014 के विरुद्ध अपीलार्थी लक्ष्मी कुमारी, पति–जितेन्द्र पासवान, साकिन–पस्तवार, थाना–महिषी, जिला–सहरसा द्वारा दाखिल किया गया।

अपीलार्थी लक्ष्मी कुमारी का कहना है कि ग्राम पंचायत–पस्तवार के पासवान टोला, वार्ड संख्या–02, आँगनबाड़ी केन्द्र कोड संख्या–197 में आँगनबाड़ी सेविका पद पर चयन हेतु कुल 03 अभ्यर्थियों ने आवेदन दाखिल किया। प्राप्त आवेदन के आधार पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी द्वारा दिनांक 16.01.2013 को औपबंधिक मेधा सूची सूची प्रकाशित किया गया, जिसमें सर्वोच्च प्राप्तांक के आधार पर इनका नाम मेधा क्रम में सर्वोच्च स्थान पर था। पुनः दिनांक 26.07.2013 को आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त अपीलार्थी के चयन पर विभागीय मार्गदर्शिका–2011 की कंडिका–4/4.8 के आलोक में अपीलार्थी के भैसुर (पति के बड़े भाई) निर्वाचित पंच होने का कथित वजह दर्शाते हुए विचार नहीं किया। मार्गदर्शिका–2011 की कंडिका–4/4.8 के आलोक में "अपीलार्थी के संबंधी अथवा स्वयं अपीलार्थी के जन प्रतिनिधि पद पर होने की स्थिति में उनसे आम सभा में पारित अंतिम निर्णय से पन्द्रह दिनों के अंदर सक्षम पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृत त्याग–पत्र की कॉपी जमा करने का मौका नहीं दिया गया, जो नियम बाल परियोजना के कार्यालय में जमा करने पर मान्य होगा", जबकि अपीलार्थी द्वारा पंच पद का त्याग पत्र बाल विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया गया, जिसे प्रत्यर्थी नं0–3 के मेल एवं प्रभाव में आकर गायब करवा दिया गया। उक्त प्रायोजित आम सभा में विभागीय प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रत्यर्थी नं0–03 सबरी कुमारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महिषी में आशा पद पर कार्यरत थी का नियोजन फर्जी तरीका से किया गया और उक्त आम सभा के प्रस्तावों का मजबून वाद में प्रत्यर्थी नं0–3 सबरी कुमारी से मिलकर तैयार किया गया। प्रत्यर्थी नं0–03 सबरी कुमारी को 15 दिनों के अंदर आशा पद से त्याग पत्र देने का निर्देश दिया गया तथा तदनुसार प्रत्यर्थी नं0–03 सबुरी कुमारी ने दिनांक 05.08.2013 को अपना त्याग पत्र बाल विकास पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया और दिनांक 06.08.2013 को बाल विकास पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया व त्याग–पत्र के संबंध में प्रत्यर्थी नं0–03 द्वारा शपथ–पत्र दिनांक 02.08.2013 भी समर्पित किया गया। चिकित्सा पदाधिकारी डॉ0 प्रेम चन्द्र साह के प्रमाण–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि प्रत्यर्थी नं0–03 सबरी कुमारी दिनांक 16.08.2013 तक अपने आशा पद पर कार्यरत थी और इसकी प्रति अपीलार्थी द्वारा बाल विकास पदाधिकारी को दिनांक 17.08.2013 को हस्तगत कराई गई। उनके द्वारा समर्पित त्याग पत्र एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी नं0–01 बाल विकास पदाधिकारी द्वारा फर्जीवारा करते हुए प्रत्यर्थी नं0–03 सबरी कुमारी का त्याग पत्र दर्शाया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महिषी कार्यालय में संधारित पंजी में दिनांक 05.08.2013 की रात्रि को प्रत्यर्थी सबरी कुमारी द्वारा आशा कार्यकर्त्ता के रूप में अस्पताल में एक महिला गीता देवी पति–उमेश पासवान, सा0–पस्तवार का प्रसव कराया गया है। उसी प्रकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र महिषी के संधारित पंजी में दर्शाया गया है कि उक्त सबरी कुमारी आशा कार्यकर्त्ता के रूप में अस्पताल में दिनांक–18.08.2013 सुलेखा देवी पति–फिरोज पासवान, साकिन–पस्तवार का प्रसव कराया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महिषी कार्यालय में संधारित आशा कार्यकत्ताओं की दिनांक–22.08.2013 को आयोजित मासिक बैठक में प्रत्यर्थी नं0–03 सबरी कुमारी बैठक में उपस्थित है तथा पंजी के क्रमांक–56 पर प्रत्यर्थी नं0–03 सबरी कुमारी का हस्ताक्षर को कलम से काटा गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा मार्गदर्शिका–2011 की कंडिका 4/4.9 में वर्णित प्रावधानों पर विचार किये बिना आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रतिपक्षी सबरी कुमारी के नियोजन रद्द कर उन्हें सेविका के पद पर बहाल करने हेतु अपील दायर किया गया हैं।

23.1.18

अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। वार्ड की आम सभा दिनांक 26.07.2013 को वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया। आँगनबाड़ी केन्द्र का पोषक क्षेत्र अनुसूचित वर्ग बाहूल्य है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि पूर्व की सेविका चयनमुक्त है एवं मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय उनके पक्ष मे आने पर आम सभा द्वारा चयनित सेविका का चयन स्वतः रद्द हो जायेगा। आँगनबाड़ी सेविका चयन हेतु कुल 03 आवेदिकाओं द्वारा आवेदन-पत्र दाखिल किया गया। मेधा सूची की क्रमांक-01 की आवेदिका लक्ष्मी कुमारी, पति-जितेन्द्र पासवान पंच के छोटे भाई की पत्नी है। उनके पति के दूसरे भाई शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। मार्गदर्शिका-2011 की कंडिका 4/4.9 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया। मेधा सूची की क्रमांक-02 की आवेदिका अंशु कुमारी, पति-प्रेमलाल पासवान के ससुर चौकीदार के पद पर सरकारी पद हैं एवं इनको वेतन मिलता है। विभागीय मार्गदर्शिका-2011 की कंडिका 4/4.9 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया। मेधा सूची की क्रमांक-03 की आवेदिका सबरी कुमारी, पति-उमेश पासवान आशा कार्यकर्त्ता है। मार्गदर्शिका-2011 के सभी अर्हता को पुरा करती है। संशोधित/नये प्रावधान के पत्रांक-2897, दिनांक 10.06.2013 की कंडिका/उप कंडिका 4.12 (V) के आलोक में उनके आवेदन पर विचार किया गया। इस शर्त पर कि चयन होने के पश्चात 15 दिनों के अन्दर अपना शपथ-पत्र में त्याग-पत्र उपलब्ध करायेंगी। आम सभा द्वारा सर्वसम्मति से सेविका के पद पर श्रीमति सबरी देवी, पति-उमेश पासवान का चयन किया गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी के ज्ञापांक-601, दिनांक 20.08.2013 द्वारा अभ्यर्थी श्रीमति सबरी देवी, पति-उमेश पासवान को आँगनबाड़ी सेविका पद पर चयन पत्र निर्गत किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। निम्न न्यायालय अभिलेख एवं संलग्न कागजातों का भी अवलोकन किया। आँगनबाड़ी केन्द्र का पोषक क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग बाहूल्य है। प्रतिपक्षी श्रीमति सबरी कुमारी, पति-उमेश पासवान, अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। जो कि वर्ग बाहूल्यता से आती हैं। उन्होंने आशा पद से त्यागपत्र देकर शपथ-पत्र के साथ बाल विकास परियोजना कार्यालय में इसकी सूचना दी है। अतः आँगनबाड़ी सेविका पद पर श्रीमति सबरी कुमारी, पति-उमेश पासवान का किया गया चयन सही प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

अतएव प्रस्तुत अपील वाद खारीज (Dismiss) किया जाता हैं। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

23.3.18

जिलाधिकारी,
सहरसा।

20.3.18

जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 1519-2 /विधि, सहरसा, दिनांक 26-09-2017.

प्रतिलिपि :- मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
25.09.017